13/2/24

वकील अपी० एवं वकील अपी०का तर्क है कि प्रत्यर्थी० ने दौरान वाद अपी० की आराजी में दो कमरे का निर्माण कर लिया। जिस पर अपीलार्थी ने धारा 203 RTA का प्रा०पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी० के निर्माण को ध्वस्त करने का निवेदन किया। जिस बाबत प्रत्यर्थी० ने कोई जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया। अपीलार्थी ने मौखिक साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों से निर्माण होने के तथ्य को साबित किया है। फिर भी अधी० न्याया० ने अपी० के प्रा.पत्र 203 RTA को खारिज करने में भूल की है। अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने के निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलार्थी पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपी० अधी० न्यायालय में विवादित आराजी पर अवैध निर्माण को

..... लगातार

APP-A
Crlml-

FORM NO. III

फर्द अहकाम

अज अदालत .... मुकाम ....

.... दीवानसिंह .... बनाम .... भंवरसिंह ....

किस्म मुकद्मा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन सारहीन है। अपील० चाहे तो अधी० न्यायालय में कब्जा वापसी अथवा अन्य कोई वाद प्रस्तुत करने को स्वतंत्र हैं। वकील अपी० का तर्क है कि नया वाद प्रस्तुत करने पर मियाद का प्रश्न आयेगा एवं काश्तकार को इससे अपूर्णीय क्षति होगी। अत: हम न्यायहित में मियाद के बिन्दु पर छूट प्रदान किया जाना उचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधी० न्याया० के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी खारिज योग्य समझते हैं। पत्रा० कैफियत शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे इजलास में सुनाया गया। (मुनिदेव भाकर RAS) भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर	